



# लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

## स्वतः मानचित्र स्वीकृति योजना

13118

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 की उपधारा-1 के  
अधीन प्रार्थना-पत्र

(300 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल तक के ऐसे एकल आवासीय भवनों के मानचित्रों हेतु जो कि प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हों एवं जिस हेतु प्रार्थना-पत्र जमा करने से सम्बन्धित रसीद ही मानचित्र स्वीकृति का प्रमाण मानी जायेगी।)

भाग - 'क'

आवेदन-पत्र

(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम .....
2. आवेदक का पता .....
- अ- पत्र व्यवहार का पता .....
- ब- स्थाई पता .....
3. निर्माण स्थल का विवरण : .....
- क- भूखण्ड संख्या ..... सेक्टर/खण्ड .....
- ख- योजना/कालोनी का नाम .....
- ग- भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) .....
- घ- भू-स्वामित्व से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का विवरण :- (रजिस्टर्ड फ्री होल्ड-डीड/सेल डीड, म्यूटेशन प्रमाण-पत्र, भौतिक कब्जे के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये)
4. प्रस्तुत मानचित्र का विवरण - .....
- क- प्रयोजन जिसके लिए भवन उपयोग में लाया जायेगा .....
- ख- प्रस्तावित भवन के कुल तलों का विवरण .....
- ग- यदि स्थल पर पूर्व का निर्माण स्थित है तो उक्त के अधिकृत होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र (पूर्व स्वीकृत मानचित्र अथवा अन्य विधिक प्रमाण-पत्र) का विवरण। .....
- घ- आर्कीटेक्ट का नाम जिसके द्वारा मानचित्र तैयार किया गया है .....

स्थान .....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक .....

## आवेदक के आर्कीटेक्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

**नोट :-** आर्कीटेक्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रमाण-पत्र को देने से पूर्व प्राधिकरण से भवन निर्माण उपविधि, योजना के नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों एवं लखनऊ महायोजना-2021 के प्राविधानों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।)

मैं ..... पुत्र .....

निवासी ..... सी.ए.नं. ....

ये प्रमाणित करता हूँ कि श्री ..... के भूखण्ड सं० .....

योजना/मोहल्ला का नाम ..... का मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया है एवं यह लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, योजना के नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों एवं लखनऊ महायोजना-2021 के प्राविधानों के अनुरूप है। यदि इस मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि योजना के नियम एवं महायोजना के प्राविधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं मेरा होगा तथा प्राधिकरण मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

स्थान .....

दिनांक .....

**आर्कीटेक्ट का नाम एवं हस्ताक्षर**

मोहर

(सी.ए. प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)

### **भाग 'ग'** **चेक लिस्ट**

मानचित्र के साथ जमा किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण :-

- |    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| क- | मानचित्र चार प्रतियों में, जोकि आवेदक एवम् आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो।   | संलग्न है/ नहीं है। |
| ख- | भू-स्वामित्व का प्रमाण पत्र ** फ्री-होल्ड डीड/सेलडीड, म्यूटेशन प्रमाण-पत्र, भौतिक कब्जा प्रमाण-पत्र।                       | संलग्न है/ नहीं है। |
| ग- | शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्रपत्र जो कि पूर्ण रूप से भरे गये हों, तीन प्रतियों में प्रस्तुत किये गये हों। | संलग्न है/ नहीं है। |
| घ- | स्थल पर अनाधिकृत निर्माण न होने से सम्बन्धित   |                     |

**आवेदन-पत्र का प्रमाण-पत्र**

मैं ..... पुत्र

निवास .....

यह शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त समस्त विवरण मेरी जानकारी में सर्वथा सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा प्रश्नगत निर्माण स्थल पर पूर्व से कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में प्राधिकरण में कोई वाद विचाराधीन है। यदि आवेदन-पत्र में कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उक्त मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा स्थल पर यदि कोई निर्माण कर लिया गया है तो उसे अवैध निर्माण की श्रेणी में मानते हुए विधिक प्रक्रिया के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्थान .....

दिनांक .....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

**भाग - 'ख'**

(आर्कीटेक्ट/पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा)

1. लीजप्लान के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल .....
2. भूतल पर कुल खुला क्षेत्रफल .....
3. प्रस्तावित/विद्यमान बेसमेन्ट का क्षेत्रफल .....
4. प्रस्तावित/विद्यमान भूतल का क्षेत्रफल .....
5. प्रस्तावित/विद्यमान प्रथम तल का क्षेत्रफल .....
6. प्रस्तावित/विद्यमान द्वितीय तल का क्षेत्रफल .....
7. ममटी का क्षेत्रफल .....
8. पोर्च का क्षेत्रफल .....
9. मलवा शुल्क हेतु कुल आच्छादित क्षेत्रफल .....

विभिन्न शुल्को की गणना (जो लागू हों) :-

क्र.सं.	शुल्कों का विवरण	भूखण्ड/आच्छादित क्षेत्र(वर्ग.मी.)	दर (रु०/प्रति वर्ग मी०)	धनराशि
1	मानचित्र शुल्क			
2	मलवा शुल्क			
3	निरीक्षण शुल्क			
4	जल शुल्क			
5	सुदृढीकरण शुल्क			
6	अन्य शुल्क (यदि कोई हो)			
			कुल योग	

शपथ-पत्र (रू0 10.00 के जनरल स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित।)	संलग्न है / नहीं है।
ड- आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
च- आर्कीटेक्ट के सी.ए. प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।	संलग्न है / नहीं है।
छ- स्थल पर पूर्व निर्माण (यदि कोई है) के वैध होने से संबंधित प्रमाण-पत्र। (पूर्व स्वीकृत मानचित्र अथवा अन्य विधिक प्रमाण-पत्र)	संलग्न है / नहीं है।
ज- मानचित्र शुल्क की बैंक द्वारा प्रमाणित जमा रसीद।	संलग्न है / नहीं है।

\*\*प्राधिकरण की योजनाओं के ऐसे रिक्त भूखण्ड, जिनकी फ्री होल्ड डीड सम्पादित नहीं हुई है, में अनिर्माण शुल्क की देयता बनती है। अतः ऐसे भूखण्डों के मानचित्र पर इस योजना के अन्तर्गत विचार नहीं किया जायेगा।

### केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

मानचित्र लिपिक द्वारा भरा जायेगा।

(i) श्री ..... पता .....  
..... द्वारा .....  
भूखण्ड सं० ..... भूखण्ड का क्षेत्रफल ..... योजना / मुहल्ला का  
नाम ..... का भवन मानचित्र दिनांक ..... को प्रस्तुत किया गया।  
आवेदक द्वारा समस्त अभिलेख व शुल्क जमा किये गये हैं, जिनकी पुष्टि मेरे द्वारा कर ली गई है।

(ii) जमा धनराशि का विवरण :-

बैंक का नाम ..... चालान संख्या ..... दिनांक .....  
धनराशि (अंकों में) ..... (शब्दों में) .....

(iii) मानचित्र निर्गत करने का विवरण :-

रसीद / परमिट संख्या .....

दिनांक .....

लिपिक का नाम / हस्ताक्षर

**OFFICE COPY**

Application No. ....

**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**BUILDING SECTION**

**13118**

Receipt cum Permit to build within the Development Area Lucknow  
Under the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973

(Applicable only to the Single-Unit Residential Maps having plot Area upto 300 Sq.mt. of the schemes. Developed by LDA and for which the submission receipt shall be treated as the proof of sanction)

File No. .... Permit No. .... Date .....

Received a proposed building map of Plot/House No. ....

of Sector .....

under Scheme / Area ..... from Mr./Mrs. ....

..... along with all enclosures and all the charges. This receipt shall be treated as the permission to build as per building map enclosed.

Encl. : One set of Building map.

**DEPOSITORS COPY**

Application No. ....

**LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**BUILDING SECTION**

**13118**

Receipt cum Permit to build within the Development Area Lucknow  
Under the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973

(Applicable only to the Single-Unit Residential Maps having plot Area upto 300 Sq.mt. of the schemes. Developed by LDA and for which the submission receipt shall be treated as the proof of sanction)

File No. .... Permit No. .... Date .....

Received a proposed building map of Plot/House No. ....

of Sector .....

under Scheme / Area ..... from Mr./Mrs. ....

..... along with all enclosures and all the charges. This receipt shall be treated as the permission to build as per building map enclosed.

Encl. : One set of Building map.

.....  
13/11/73

भारत सरकार  
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय  
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन  
Government of India  
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation  
National Buildings Organisation

मूल्य रु0 2 0 / -

54355

अनुसूची-1 व 2 - 31 मार्च ..... को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

Schedule I/II Return for the year ending 31<sup>st</sup> March .....

अनु.-1 सांख्यिकीय विवरण 25,00,000 या उससे अधिक लागत वाली नयी अथवा निरंतर जारी परियोजनायें, जो केन्द्रीय / राज्य अभिकरणों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली गयी है; सभी क्षेत्रीय एककों (यूनिटों) द्वारा भरी जानी है। अनु.-II सभी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा शहर के श्रेणी I एवं II तथा चयनित शहर श्रेणी III से VI को भरी जानी है।

Schedule I is to be filed by field units of Central/State Construction Agencies and Central /State PSUs if the total cost of the projects undertaken, new or continuing, costing Rs. 25,00,000 or more. Schedule II is to be filled by all builders in the Class I, II and selected Class III to VI towns.

1. पहचान  
Identification

i) सेक्टर - सार्वजनिक / निजी  
Sector - Public/Private

ii) परियोजना का नाम  
Name of Project

2. परियोजना की स्थिति Location	स्थान Place	जिला Distt.	शहर Town
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------

राज्य  
State

ग्रामीण / शहरी  
Rural/Urban

3. (क) आरम्भ की तिथि  
(i) Date of Commencement

(ख) परियोजना का पूर्ण स्वीकृत मूल्य  
(ii) Total Approved Cost of the Project

4. कार्यकारी एजेंसी  
Executing Agency

(कूट):  
(Code):

5. निर्माण का स्वरूप  
Nature of Construction

(कूट):  
(Code):

6. भवन का प्रकार  
Type of Buildings

(कूट):  
(Code):

7. परियोजना में सभी तलों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  
Total Plinth Area of all the floors in Projects in Sq. Mt. :

8. परियोजना में सभी तलों का कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  
Total Floor Area of all the floors in Sq. Mt. :

9. अगर मद संख्या 6 में यदि कोड '1' है, तो परियोजना में कुल रिहायशी एककों की संख्या  
If Code 1 in item 6, then total No. of dwellign units in the project :

10. परियोजना में रिहायशी एककों की संख्या  
No of dwelling units in the project by:

(i) 1 कमरे वाले एकक / EWS

(ii) 2 कमरे वाले एकक / LIG

(iii) 3 कमरे वाले एकक / MIG

(iv) 4 या अधिक कमरों वाले एकक / HIG

11. परियोजना का कार्य सम्पादन

(कूट)

Whether project is completed

(Code)

12. मद संख्या 11 में यदि कोई 1 एवं 2 है तो कार्य सम्पादन की तिथि:

If Code 1 & 2 in Item 11, the date of completion of Work.

13. परियोजना में कुल निवेश

Total Investment made in the project :

मदें Item	नवीनतम स्वीकृत मूल्य Latest Approved Cost		चालू वर्ष में किए गए निर्माण का मूल्य Value of work done during the current year		कार्य आरम्भ करने से अब तक किए गए निर्माण कार्य का मूल्य Value of work done since beginning of work	
	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour
निर्माण का हिस्सा Building Portion						
स्वच्छता और जलापूर्ति Sanitary & Water Supply						
विद्युत फिटिंग्स Electrical Fittings						

14. टिप्पणी:

Remarks

कोड के लिए:

Code for:

कोड 4 : सी.पी. डब्ल्यू डी-1, एम.ई.एस-2, रेलवे-3, पी. व टी.-4, केन्द्रीय पी.एस.यू.-5, राज्य पी.एस.यू.-6, राज्य पी.डब्ल्यू.डी./विकास प्राधिकरण/विभाग-7, बिल्डर/टेकेदार-8, निजी व्यक्तिगत-9

Item 4 : CPWD - 1, MES - 2, Railway - 3, P&T - 4, Central PSU -5, State PSU-6, State PWD/Development Authority/Deptt.-7, Builder/Contractor-8, Private Individual-9

कोड 5 : नया-1, अतिरिक्त-2, नव-निर्मित-3, मरम्मत-4

Item 5 : New-1, Additions-2, Alterations-3, Repairs -4

कोड 6 : पारिवारिक रिहायशी-1, अपारिवारिक रिहायशी-2, औद्योगिक-3, व्यापारिक-4, संस्थागत-5, अन्य-9

Item 6 : Family Residential-1, Non-family residential-2, Industrial-3, Commercial-4, Institutional-5, Others-9

कोड 11 : चालू वर्ष के अन्दर शुरू व पूर्ण-1, पूर्ववर्ती वर्ष में आरम्भ तथा चालू वर्ष में पूर्ण-2, गत वर्षों से कार्य जारी-3, चालू वर्ष में आरम्भ तथा निरन्तर कार्य जारी-4

Item 11 : Started and completed current year-1, Started in earlier year and completed in current year -2, ongoing from previous year-3, Started in current year and continuing-4.

**भारत सरकार**  
**आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**  
**Government of India**  
**Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation**

**अनुसूची भरने के लिये अनुदेश**  
**INSTRUCTION FOR FILLED-IN SCHEDULE**

3. मार्च ..... को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

Return for the year ending 31st March .....

**अनुसूची-1 (सार्वजनिक क्षेत्र) :** यह सांख्यिकीय विवरणी/अनुसूची प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई द्वारा 25 लाख रुपये या इससे अधिक कुल लागत वाली सभी चालू/परियोजनाओं के लिये अलग-अलग सभी केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निर्माण एजेंसियों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सैनिक इंजीनियरी सेवा/रेलवे/पी एण्ड टी/लोक निर्माण विभागों/विकास प्राधिकरणों/आवास बोर्ड/नगर पालिकाओं आदि एवम् केन्द्र/राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा भरी जानी है। वे सब परियोजनाएँ जो ली गयी/चालू हैं, जिसकी कुल लागत रुपये 25 लाख से कम है उन सभी के लिये निल (शून्य) सूचना भेजी जानी है। उन सभी परियोजना के लिये अलग-अलग विवरणी भरी जानी है, जिनकी लागत रुपये 25 लाख से अधिक हो, चाहे उन प्रत्येक परियोजना की लागत कुछ भी हो।

**Schedule-I (Public Sector) :** This Statistical return/schedule is to be filled by all the Central/State/UTs construction agencies such as CPWD/ME Railways/P&T/PWD's/Development Authorities/Housing Boards/Municipalities etc. and State & Central PSU's, if the total cost of all the projects currently undergoing/new by each field unit separately in Rs. 25 lakhs or more. If the total cost of all the projects undertaken/continuing does not exceed Rs.25.00 lakh, a nil report has to be filled for all the projects. If the total cost exceeds Rs. 25.00 lakh, a separate return for all the project irrespective of the cost of individual project, has to be filled.

**अनुसूची-II (निजी क्षेत्र) :-** यह विवरणी/अनुसूची श्रेणी-I एवम् II शहरों और श्रेणी III से IV के चुने हुए शहरों में सभी भवन निर्माताओं/व्यक्तियों द्वारा भरी जानी है।

**Schedule-II (Private Sector) :-** This return/schedule is to be filled by all builders/individual in class I & II towns and the selected class III to class VI towns. The returns have to be filled with respect of "New Construction" only.

1. पहचान : स्वतः स्पष्ट

Identification : self explanatory

2. स्थिति : यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है कि भवन परियोजना, नगर निगम, नगर पालिकाओं और छावनी क्षेत्र में है।

स्थान, जिला, राज्य, ग्रामीण व शहर स्वतः स्पष्ट है। शहर, जिला, राज्य का नाम लिखा जाना चाहिये।

**Location :** It is to be ascertained here that the building project are within the town, municipalities and cantonment area. Place, District, State Rural & Urban are self explanatory - Town, District & State name should be written.

3. निर्माण आरम्भ की तिथि : जब निर्माण स्थान पर पहली बार योजना एवम् डिजाइन अवस्था जैसे, स्थान की तैयारी साईट पर सामग्री और इमारती सामान को सुपुर्दगी, उत्खनन की शुरुआत या नींव का पत्थर रखने के बाद पहली बार व्यवहारिक कार्यवाही की शुरुआत की गयी।

**Date of Commencement :** When the first physical operation are undertaken on the building site after planning & designing states i.e. site preparation, delivery of materials & equipments to the site, the start of excavation or the laying of foundation stone.

**अनुमोदित लागत :-** परियोजना की अनुमोदित लागत है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गयी है। मूल्य पूर्ण संख्या में रुपये .....00 में भरा जाना चाहिये।

**Approved Cost :** The approved cost of the project, which is approved by the competent authority. The amount should be entered here in Rs. 0.00 (whole number)

4. कार्यपालक एजेंसी/अभिकरण : स्वतः स्पष्ट

Executing agency (Codes) Self explanatory

5. निर्माण का प्रकार (कूट) : स्वतः स्पष्ट

Nature of Construction (Codes) : Self explanatory

6. निर्माण का स्वरूप (कूट) : स्वतः स्पष्ट

Type of Building (Codes) : Self explanatory



7. भवन में सभी कुर्सी फर्शों के कुल फर्शी क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर : कुल कुर्सी क्षेत्रफल का अर्थ, बहुमंजिले भवनों या एक मंजिल से अधिक वाले के सम्बन्ध में सभी फर्शों के क्षेत्रफल की कुल योग की गणना अंकित करें।

Total Plinth area of all the floors in project in Sq. mt. :- Total plinth area means the sum total of plinth of all the floors in case of one storey buildings or more than one floor is to be calculated here.

8. भवन में फर्शों/पलोर का कुल फर्शी क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर : इसका मतलब छत के अन्दर के क्षेत्र से हैं इसमें कमरों, रसोई, स्नानागार आदि के शामिल हैं परन्तु इसमें संरचना के अन्दर व बाहर बिना ढका क्षेत्र शामिल नहीं है जैसे - बालकनी, सीढ़ियाँ आदि। भवन में वृद्धि/परिवर्तन के मकान का कुर्सी क्षेत्रफल तथा फर्शी क्षेत्रफल में आपस में सम्बन्ध होना चाहिये। जैसे कि कुल फर्शी क्षेत्रफल, कुर्सी क्षेत्रफल से कम या बराबर हो सकता है परन्तु अधिक नहीं हो सकता।

Total floor area of all the floors in sq. mt. : (Carpet Area) : It means inside roofed area. It includes the area of the rooms, kitchen, baths etc. but exclude uncovered area both inside & outside of the structure e.g. Terrace, stair, landing etc. In case of alteration & addition to existing building, the plinth area & floor area should relate to each other i.e. total floor area may be less than plinth area or equal to plinth but not more than plinth area.

9. यदि मद 6 में कूट-1 है, तो परियोजना में रिहायशी इकाईयों की कुल संख्या - स्वतः स्पष्ट।

If code-1 to items 6, then total no. of dwelling units in the project :- Self explanatory.

10. परियोजना में रिहायशी इकाईयों की संख्या : इकाईयों का वर्गीकरण, श्रेणी के आधार पर निम्न प्रकार है :-

No. of dwelling Units in the Project : The classification of units by category is as follows :-

ई.डब्ल्यू.एस. (< 500 वर्गफुट)

EWS (< 500 Sq. ft.)

एल.आई.जी. (500 - 800 वर्ग फुट)

LIG (500 - 800 Sq. ft.)

एम.आई.जी. (800 - 1200 वर्ग फुट)

MIG (800 - 1200 Sq. ft.)

एच.आई.जी. (> 1200 वर्गफुट)

HIG (> 1200 Sq. ft.)

11. क्या परियोजना पूर्ण हो गयी : स्वतः स्पष्ट

Whether Project is completed : Self explanatory

12. यदि मद 11 में कूट 1 एवम् 2 है तो, कार्य के पूर्ण होने की तिथि :- स्वतः स्पष्ट

If code 1 & 2 in the item 11 date of completion of work : Self explanatory.

13. परियोजना में किया गया कुल निवेश : परियोजना का कुल निवेश से सम्बन्धित सूचना विभिन्न मदों में एकत्रित की जानी हैं

Total investment made in the project : The information pertaining to total investment to the project is to be collected on different her.

नवीनतम अनुमोदित लागत : यह लागत है जो परियोजना के लिये सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित की है। यदि लागत में कोई परिवर्तन है तो अनुमोदित लागत दी जानी चाहिए।

Latest approved cost : This is the cost at which the project is approved by the competent authority. If there is a change in the cost, the approved cost is to be given.

चालू वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्य : इसमें संरचना में लगायी गयी सामग्री की लागत, श्रम लागत और उपयुक्त ऊपरी मद की लागत जो चालू के दौरान आयी हो, को शामिल किया जाये।

Value of work done during the current year - It includes the cost of material incorporate if the structure, cost of labour and appropriate over head cost incurred during the current year.

परियोजना के शुरु से किये गये कार्य का मूल्य : परियोजना की शुरुआत से अभी तक आया कुल व्यय।

Value of work done since beginning of work : It is the total expenditure incurred since the beginning of project.

14. टिप्पणी/अभियुक्ति : स्वतः स्पष्ट।

Remarks : Self-explanatory.

भारत सरकार  
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय  
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन  
Government of India  
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation  
National Buildings Organisation

मूल्य रु0 20/-

54056

अनुसूची-1 व 2 - 31 मार्च ..... को समाप्त होने वाले वर्ष-की विवरणी।

Schedule I/II Return for the year ending 31<sup>st</sup> March .....

अनु.-1 सांख्यिकीय विवरण 25,00,000 या उससे अधिक लागत वाली नयी अथवा निरंतर जारी परियोजनायें, जो केन्द्रीय / राज्य अभिकरणों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली गयी है; सभी क्षेत्रीय एककों (यूनिटों) द्वारा भरी जानी है। अनु.-II सभी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा शहर के श्रेणी I एवं II तथा चयनित शहर श्रेणी III से VI को भरी जानी है।

Schedule I is to be filed by field units of Central/State Construction Agencies and Central /State PSUs if the total cost of the projects undertaken, new or continuing, costing Rs. 25,00,000 or more. Schedule II is to be filled by all builders in the Class I, II and selected Class III to VI towns.

1. पहचान  
Identification

i) सेक्टर - सार्वजनिक / निजी  
Sector - Public/Private

ii) परियोजना का नाम  
Name of Project

2. परियोजना की स्थिति Location	स्थान Place	जिला Distt.	शहर Town
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------

राज्य  
State

ग्रामीण / शहरी  
Rural/Urban

3. (क) आरम्भ की तिथि  
(i) Date of Commencement

(ख) परियोजना का पूर्ण स्वीकृत मूल्य  
(ii) Total Approved Cost of the Project

4. कार्यकारी एजेंसी  
Executing Agency

(कूट):  
(Code):

5. निर्माण का स्वरूप  
Nature of Construction

(कूट):  
(Code):

6. भवन का प्रकार  
Type of Buildings

(कूट):  
(Code):

7. परियोजना में सभी तलों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  
Total Plinth Area of all the floors in Projects in Sq. Mt. :

8. परियोजना में सभी तलों का कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  
Total Floor Area of all the floors in Sq. Mt. :

9. अगर मद संख्या 6 में यदि कोड '1' है, तो परियोजना में कुल रिहायशी एककों की संख्या  
If Code 1 in item 6, then total No. of dwellign units in the project :

10. परियोजना में रिहायशी एककों की संख्या

No of dwelling units in the project by:

(i) 1 कमरे वाले एकक / EWS

(ii) 2 कमरे वाले एकक / LIG

(iii) 3 कमरे वाले एकक / MIG

(iv) 4 या अधिक कमरों वाले एकक / HIG

11. परियोजना का कार्य सम्पादन

(कूट)

Whether project is completed

(Code)

12. मद संख्या 11 में यदि कोई 1 एवं 2 है तो कार्य सम्पादन की तिथि :

If Code 1 & 2 in Item 11, the date of completion of Work.

13. परियोजना में कुल निवेश

Total Investment made in the project :

मदें Item	नवीनतम् स्वीकृत मूल्य Latest Approved Cost		चालू वर्ष में किए गए निर्माण का मूल्य Value of work done during the current year		कार्य आरम्भ करने से अब तक किए गए निर्माण कार्य का मूल्य Value of work done since beginning of work	
	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour
निर्माण का हिस्सा Building Portion						
स्वच्छता और जलापूर्ति Sanitary & Water Supply						
विद्युत फिटिंग्स Electrical Fittings						

14. टिप्पणी :

Remarks

कोड के लिए :

Code for :

कोड 4 : सी.पी. डब्ल्यू डी-1, एम.ई.एस-2, रेलवे-3, पी. व टी.-4, केन्द्रीय पी.एस.यू.-5, राज्य पी.एस.यू.-6, राज्य पी.डब्ल्यू.डी./विकास प्राधिकरण/विभाग-7, बिल्डर/ठेकेदार-8, निजी व्यक्तिगत-9

Item 4 : CPWD - 1, MES - 2, Railway - 3, P&T - 4, Central PSU -5, State PSU-6, State PWD/Development Authority/Deptt.-7, Builder/Contractor-8, Private Individual-9

कोड 5 : नया-1, अतिरिक्त-2, नव-निर्मित-3, मरम्मत-4

Item 5 : New-1, Additions-2, Alterations-3, Repairs - 4

कोड 6 : पारिवारिक रिहायशी-1, अपारिवारिक रिहायशी-2, औद्योगिक-3, व्यापारिक-4, संस्थागत-5, अन्य-9

Item 6 : Family Residential-1, Non-family residential-2, Industrial-3, Commercial-4, Institutional-5, Others-9

कोड 11 : चालू वर्ष के अन्दर शुरू व पूर्ण-1, पूर्ववर्ती वर्ष में आरम्भ तथा चालू वर्ष में पूर्ण-2, गत वर्षों से कार्य जारी-3, चालू वर्ष में आरम्भ तथा निरन्तर कार्य जारी-4

Item 11 : Started and completed current year-1, Started in earlier year and completed in current year -2, ongoing from previous year-3, Started in current year and continuing-4.

**भारत सरकार**  
**आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**  
**Government of India**  
**Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation**

**अनुसूची भरने के लिये अनुदेश**  
**INSTRUCTION FOR FILLED-IN SCHEDULE**

3. मार्च ..... को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

Return for the year ending 31st March .....

**अनुसूची-1 (सार्वजनिक क्षेत्र) :** यह सांख्यिकीय विवरणी/अनुसूची प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई द्वारा 25 लाख रुपये या इससे अधिक कुल लागत वाली सभी चालू/परियोजनाओं के लिये अलग-अलग सभी केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निर्माण एजेंसियों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सैनिक इंजीनियरी सेवा/रेलवे/पी एण्ड टी/लोक निर्माण विभागों/विकास प्राधिकरणों/आवास बोर्ड/नगर पालिकाओं आदि एवम् केन्द्र/राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा भरी जानी है। वे सब परियोजनाएँ जो ली गयीं/चालू हैं, जिसकी कुल लागत रुपये 25 लाख से कम है उन सभी के लिये निल (शून्य) सूचना भेजी जानी है। उन सभी परियोजना के लिये अलग-अलग विवरणी भरी जानी है, जिनकी लागत रुपये 25 लाख से अधिक हो, चाहे उन प्रत्येक परियोजना की लागत कुछ भी हो।

**Schedule-I (Public Sector) :** This Statistical return/schedule is to be filled by all the Central/State/UTs construction agencies such as CPWD/ME Railways/P&T/PWD's/Development Authorities/Housing Boards/Municipalities etc. and State & Central PSU's, if the total cost of all the projects currently undergoing/new by each field unit separately in Rs. 25 lakhs or more. If the total cost of all the projects undertaken/continuing does not exceed Rs.25.00 lakh, a nil report has to be filled for all the projects. If the total cost exceeds Rs. 25.00 lakh, a separate return for all the project irrespective of the cost of individual project, has to be filled.

**अनुसूची-II (निजी क्षेत्र) :-** यह विवरणी/अनुसूची श्रेणी-I एवम् II शहरों और श्रेणी III से IV के चुने हुए शहरों में सभी भवन निर्माताओं/व्यक्तियों द्वारा भरी जानी है।

**Schedule-II (Private Sector) :-** This return/schedule is to be filled by all builders/individual in class I & II towns and the selected class III to class VI towns. The returns have to be filled with respect of "New Construction" only.

1. पहचान : स्वतः स्पष्ट  
Identification : self explanatory

2. स्थिति : यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है कि भवन परियोजना, नगर निगम, नगर पालिकाओं और छावनी क्षेत्र में है। स्थान, जिला, राज्य, ग्रामीण व शहर स्वतः स्पष्ट है। शहर, जिला, राज्य का नाम लिखा जाना चाहिये।  
**Location :** It is to be ascertained here that the building project are within the town, municipalities and cantonment area. Place, District, State Rural & Urban are self explanatory - Town, District & State name should be written.

3. निर्माण आरम्भ की तिथि : जब निर्माण स्थान पर पहली बार योजना एवम् डिजाइन अवस्था जैसे, स्थान की तैयारी साईट पर सामग्री और इमारती सामान को सुपुर्दगी, उत्खनन की शुरुआत या नींव का पत्थर रखने के बाद पहली बार व्यवहारिक कार्यवाही की शुरुआत की गयी।  
**Date of Commencement :** When the first physical operation are undertaken on the building site after planning & designing states i.e. site preparation, delivery of materials & equipments to the site, the start of excavation or the lying of foundation stone.  
**अनुमोदित लागत :-** परियोजना की अनुमोदित लागत है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गयी है। मूल्य पूर्ण संख्या में रुपये .....00 में भरा जाना चाहिये।  
**Approved Cost :** The approved cost of the project, which is approved by the competent authority. The amount should be entered here in Rs. 0.00 (whole number)

4. कार्यपालक एजेंसी/अभिकरण : स्वतः स्पष्ट  
Executing agency (Codes) Self explanatory

5. निर्माण का प्रकार (कूट) : स्वतः स्पष्ट  
Nature of Construction (Codes) : Self explanatory

6. निर्माण का स्वरूप (कूट) : स्वतः स्पष्ट  
Type of Building (Codes) : Self explanatory

7. भवन में सभी कुर्सी फर्शों के कुल फर्शी क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर : कुल कुर्सी क्षेत्रफल का अर्थ, बहुमंजिले भवनों या एक मंजिल से अधिक वाले के सम्बन्ध में सभी फर्शों के क्षेत्रफल की कुल योग की गणना अंकित करें।  
Total Plinth area of all the floors in project in Sq. mt. :- Total plinth area means the sum total of plinth of all the floors in case of one storey buildings or more than one floor is to be calculated here.
8. भवन में फर्शों/फ्लोर का कुल फर्शी क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर : इसका मतलब छत के अन्दर के क्षेत्र से हैं इसमें कमरों, रसोई, स्नानागार आदि के शामिल हैं परन्तु इसमें संरचना के अन्दर व बाहर बिना ढका क्षेत्र शामिल नहीं है जैसे - बालकनी, सीढ़ियाँ आदि। भवन में वृद्धि/परिवर्तन के मकान का कुर्सी क्षेत्रफल तथा फर्शी क्षेत्रफल में आपस में सम्बन्ध होना चाहिये। जैसे कि कुल फर्शी क्षेत्रफल, कुर्सी क्षेत्रफल से कम या बराबर हो सकता है परन्तु अधिक नहीं हो सकता।  
Total floor area of all the floors in sq. mt. : (Carpet Area) : It means inside roofed area. It includes the area of the rooms, kitchen, baths etc. but exclude uncovered area both inside & outside of the structure e.g. Terrace, stair, landing etc. In case of alteration & addition to existing building, the plinth area & floor area should relate to each other i.e. total floor area may be less than plinth area or equal to plinth but not more than plinth area.
9. यदि मद 6 में कूट-1 है, तो परियोजना में रिहायशी इकाईयों की कुल संख्या - स्वतः स्पष्ट।  
If code-1 to items 6, then total no. of dwelling units in the project :- Self explanatory.
10. परियोजना में रिहायशी इकाईयों की संख्या : इकाईयों का वर्गीकरण, श्रेणी के आधार पर निम्न प्रकार है :-  
No. of dwelling Units in the Project : The classification of units by category is as follows :-  
ई.डब्ल्यू.एस. (< 500 वर्गफुट)  
EWS (< 500 Sq. ft.)  
एल. आई. जी. (500 - 800 वर्ग फुट)  
LIG (500 - 800 Sq. ft.)  
एम.आई. जी. (800 - 1200 वर्ग फुट)  
MIG (800 - 1200 Sq. ft.)  
एच.आई. जी. (> 1200 वर्गफुट)  
HIG (> 1200 Sq. ft.)
11. क्या परियोजना पूर्ण हो गयी : स्वतः स्पष्ट  
Whether Project is completed : Self explanatory
12. यदि मद 11 में कूट 1 एवम् 2 है तो, कार्य के पूर्ण होने की तिथि :- स्वतः स्पष्ट  
If code 1 & 2 in the item 11 date of completion of work : Self explanatory.
13. परियोजना में किया गया कुल निवेश : परियोजना का कुल निवेश से सम्बन्धित सूचना विभिन्न मदों में एकत्रित की जानी हैं  
Total investment made in the project : The information pertaining to total investment to the project is to be collected on different her.  
नवीनतम अनुमोदित लागत : यह लागत है जो परियोजना के लिये सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित की है। यदि लागत में कोई परिवर्तन है तो अनुमोदित लागत दी जानी चाहिए।  
Latest approved cost : This is the cost at which the project is approved by the competent authority. If there is a change in the cost, the approved cost is to be given.  
चालू वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्य : इसमें संरचना में लगायी गयी सामग्री की लागत, श्रम लागत और उपयुक्त ऊपरी मद की लागत जो चालू के दौरान आयी हो, को शामिल किया जाये।  
Value of work done during the current year - It includes the cost of material incorporate if the structure, cost of labour and appropriate over head cost incurred during the current year.  
परियोजना के शुरू से किये गये कार्य का मूल्य : परियोजना की शुरुआत से अभी तक आया कुल व्यय।  
Value of work done since beginning of work : It is the total expenditure incurred since the beginning of project.
14. टिप्पणी/अभियुक्ति : स्वतः स्पष्ट।  
Remarks : Self-explanatory.

भारत सरकार  
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय  
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन  
Government of India  
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation  
National Buildings Organisation

मूल्य रु0 20/-

54057

अनुसूची-1 व 2 - 31 मार्च ..... को समाप्त होने वाले वर्ष-की विवरणी।

Schedule I/II Return for the year ending 31<sup>st</sup> March .....

अनु.-1 सांख्यिकीय विवरण 25,00,000 या उससे अधिक लागत वाली नयी अथवा निरंतर जारी परियोजनायें, जो केन्द्रीय/राज्य अभिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली गयी है; सभी क्षेत्रीय एककों (यूनिटों) द्वारा भरी जानी है। अनु.-II सभी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा शहर के श्रेणी I एवं II तथा चयनित शहर श्रेणी III से VI को भरी जानी है।

Schedule I is to be filed by field units of Central/State Construction Agencies and Central /State PSUs if the total cost of the projects undertaken, new or continuing, costing Rs. 25,00,000 or more. Schedule II is to be filled by all builders in the Class I, II and selected Class III to VI towns.

1. पहचान

Identification

i) सेक्टर - सार्वजनिक / निजी  
Sector - Public/Private

ii) परियोजना का नाम  
Name of Project

2. परियोजना की स्थिति Location	स्थान Place	जिला Distt.	शहर Town
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------

राज्य  
State

ग्रामीण/शहरी  
Rural/Urban

3. (क) आरम्भ की तिथि  
(i) Date of Commencement

(ख) परियोजना का पूर्ण स्वीकृत मूल्य  
(ii) Total Approved Cost of the Project

4. कार्यकारी एजेंसी  
Executing Agency

(कूट):  
(Code):

5. निर्माण का स्वरूप  
Nature of Construction

(कूट):  
(Code):

6. भवन का प्रकार  
Type of Buildings

(कूट):  
(Code):

7. परियोजना में सभी तलों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  
Total Plinth Area of all the floors in Projects in Sq. Mt. :

8. परियोजना में सभी तलों का कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  
Total Floor Area of all the floors in Sq. Mt. :

9. अगर मद संख्या 6 में यदि कोड '1' है, तो परियोजना में कुल रिहायशी एककों की संख्या  
If Code 1 in item 6, then total No. of dwellign units in the project :

10. परियोजना में रिहायशी एककों की संख्या  
No of dwelling units in the project by:

(i) 1 कमरे वाले एकक / EWS

(ii) 2 कमरे वाले एकक / LIG

(iii) 3 कमरे वाले एकक / MIG

(iv) 4 या अधिक कमरों वाले एकक / HIG

11. परियोजना का कार्य सम्पादन

(कूट)

Whether project is completed

(Code)

12. मद संख्या 11 में यदि कोई 1 एवं 2 है तो कार्य सम्पादन की तिथि:

If Code 1 & 2 in Item 11, the date of completion of Work.

13. परियोजना में कुल निवेश

Total Investment made in the project :

मदें Item	नवीनतम् स्वीकृत मूल्य Latest Approved Cost		चालू वर्ष में किए गए निर्माण का मूल्य Value of work done during the current year		कार्य आरम्भ करने से अब तक किए गए निर्माण कार्य का मूल्य Value of work done since beginning of work	
	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour
निर्माण का हिस्सा Building Portion						
स्वच्छता और जलापूर्ति Sanitary & Water Supply						
विद्युत फिटिंग्स Electrical Fittings						

14. टिप्पणी:

Remarks

कोड के लिए:

Code for:

कोड 4 : सी.पी. डब्ल्यू डी-1, एम.ई.एस-2, रेलवे-3, पी. व टी.-4, केन्द्रीय पी.एस.यू.-5, राज्य पी.एस.यू.-6, राज्य पी.डब्ल्यू.डी./विकास प्राधिकरण/विभाग-7, बिल्डर/ठेकेदार-8, निजी व्यक्तिगत-9

Item 4 : CPWD - 1, MES - 2, Railway - 3, P&T - 4, Central PSU -5, State PSU-6, State PWD/Development Authority/Deptt.-7, Builder/Contractor-8, Private Individual-9

कोड 5 : नया-1, अतिरिक्त-2, नव-निर्मित-3, मरम्मत-4

Item 5 : New-1, Additions-2, Alterations-3, Repairs - 4

कोड 6 : पारिवारिक रिहायशी-1, अपारिवारिक रिहायशी-2, औद्योगिक-3, व्यापारिक-4, संस्थागत-5, अन्य-9

Item 6 : Family Residential-1, Non-family residential-2, Industrial-3, Commercial-4, Institutional-5, Others-9

कोड 11 : चालू वर्ष के अन्दर शुरू व पूर्ण-1, पूर्ववर्ती वर्ष में आरम्भ तथा चालू वर्ष में पूर्ण-2, गत वर्षों से कार्य जारी-3, चालू वर्ष में आरम्भ तथा निरन्तर कार्य जारी-4

Item 11 : Started and completed current year-1, Started in earlier year and completed in current year -2, ongoing from previous year-3, Started in current year and continuing-4.

**भारत सरकार**  
**आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**  
**Government of India**  
**Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation**

**अनुसूची भरने के लिये अनुदेश**  
**INSTRUCTION FOR FILLED-IN SCHEDULE**

3. मार्च ..... को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

Return for the year ending 31st March .....

**अनुसूची-1 (सार्वजनिक क्षेत्र) :** यह सांख्यिकीय विवरणी/अनुसूची प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई द्वारा 25 लाख रुपये या इससे अधिक कुल लागत वाली सभी चालू/परियोजनाओं के लिये अलग-अलग सभी केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निर्माण एजेंसियों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सैनिक इंजीनियरी सेवा/रेलवे/पी एण्ड टी/लोक निर्माण विभागों/विकास प्राधिकरणों/आवास बोर्ड/नगर पालिकाओं आदि एवम् केन्द्र/राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा भरी जानी है। वे सब परियोजनाएँ जो ली गयीं/चालू हैं, जिसकी कुल लागत रुपये 25 लाख से कम है उन सभी के लिये निल (शून्य) सूचना भेजी जानी है। उन सभी परियोजना के लिये अलग-अलग विवरणी भरी जानी है, जिनकी लागत रुपये 25 लाख से अधिक हो, चाहे उन प्रत्येक परियोजना की लागत कुछ भी हो।

**Schedule-I (Public Sector) :** This Statistical return/schedule is to be filled by all the Central/State/UTs construction agencies such as CPWD/ME Railways/P&T/PWD's/Development Authorities/Housing Boards/Municipalities etc. and State & Central PSU's, if the total cost of all the projects currently undergoing/new by each field unit separately in Rs. 25 lakhs or more. If the total cost of all the projects undertaken/continuing does not exceed Rs.25.00 lakh, a nil report has to be filled for all the projects. If the total cost exceeds Rs. 25.00 lakh, a separate return for all the project irrespective of the cost of individual project, has to be filled.

**अनुसूची-II (निजी क्षेत्र) :-** यह विवरणी/अनुसूची श्रेणी-I एवम् II शहरों और श्रेणी III से IV के चुने हुए शहरों में सभी भवन निर्माताओं/व्यक्तियों द्वारा भरी जानी है।

**Schedule-II (Private Sector) :-** This return/schedule is to be filled by all builders/individual in class I & II towns and the selected class III to class VI towns. The returns have to be filled with respect of "New Construction" only.

1. पहचान : स्वतः स्पष्ट

Identification : self explanatory

2. स्थिति : यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है कि भवन परियोजना, नगर निगम, नगर पालिकाओं और छावनी क्षेत्र में है। स्थान, जिला, राज्य, ग्रामीण व शहर स्वतः स्पष्ट है। शहर, जिला, राज्य का नाम लिखा जाना चाहिये।

**Location :** It is to be ascertained here that the building project are within the town, municipalities and cantonment area. Place, District, State Rural & Urban are self explanatory - Town, District & State name should be written.

3. निर्माण आरम्भ की तिथि : जब निर्माण स्थान पर पहली बार योजना एवम् डिजाइन अवस्था जैसे, स्थान की तैयारी साईट पर सामग्री और इमारती सामान को सुपुर्दगी, उत्खनन की शुरुआत या नींव का पत्थर रखने के बाद पहली बार व्यावहारिक कार्यवाही की शुरुआत की गयी।

**Date of Commencement :** When the first physical operation are undertaken on the building site after planning & designing states i.e. site preparation, delivery of materials & equipments to the site, the start of excavation or the laying of foundation stone.

**अनुमोदित लागत :-** परियोजना की अनुमोदित लागत है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गयी है। मूल्य पूर्ण संख्या में रुपये .....00 में भरा जाना चाहिये।

**Approved Cost :** The approved cost of the project, which is approved by the competent authority. The amount should be entered here in Rs. 0.00 (whole number)

4. कार्यपालक एजेंसी/अभिकरण : स्वतः स्पष्ट

Executing agency (Codes) Self explanatory

5. निर्माण का प्रकार (कूट) : स्वतः स्पष्ट

Nature of Construction (Codes) : Self explanatory

6. निर्माण का स्वरूप (कूट) : स्वतः स्पष्ट

Type of Building (Codes) : Self explanatory



7. भवन में सभी कुर्सी फर्शों के कुल फर्शी क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर : कुल कुर्सी क्षेत्रफल का अर्थ, बहुमंजिले भवनों या एक मंजिल से अधिक वाले के सम्बन्ध में सभी फर्शों के क्षेत्रफल की कुल योग की गणना अंकित करें।  
Total Plinth area of all the floors in project in Sq. mt. :- Total plinth area means the sum total of plinth of all the floors in case of one storey buildings or more than one floor is to be calculated here.
8. भवन में फर्शों / पलोर का कुल फर्शी क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर : इसका मतलब छत के अन्दर के क्षेत्र से हैं इसमें कमरों, रसोई, स्नानागार आदि के शामिल हैं परन्तु इसमें संरचना के अन्दर व बाहर बिना ढका क्षेत्र शामिल नहीं है जैसे - बालकनी, सीढ़ियाँ आदि। भवन में वृद्धि/परिवर्तन के मकान का कुर्सी क्षेत्रफल तथा फर्शी क्षेत्रफल में आपस में सम्बन्ध होना चाहिये। जैसे कि कुल फर्शी क्षेत्रफल, कुर्सी क्षेत्रफल से कम या बराबर हो सकता है परन्तु अधिक नहीं हो सकता।  
Total floor area of all the floors in sq. mt. : (Carpet Area) : It means inside roofed area. It includes the area of the rooms, kitchen, baths etc. but exclude uncovered area both inside & outside of the structure e.g. Terrace, stair, landing etc. In case of alteration & addition to existing building, the plinth area & floor area should relate to each other i.e. total floor area may be less than plinth area or equal to plinth but not more than plinth area.
9. यदि मद 6 में कूट-1 है, तो परियोजना में रिहायशी इकाईयों की कुल संख्या - स्वतः स्पष्ट।  
If code-1 to items 6, then total no. of dwelling units in the project :- Self explanatory.
10. परियोजना में रिहायशी इकाईयों की संख्या : इकाईयों का वर्गीकरण, श्रेणी के आधार पर निम्न प्रकार है :-  
No. of dwelling Units in the Project : The classification of units by category is as follows :-  
ई.डब्ल्यू.एस. (< 500 वर्गफुट)  
EWS (< 500 Sq. ft.)  
एल.आई.जी. (500 - 800 वर्ग फुट)  
LIG (500 - 800 Sq. ft.)  
एम.आई.जी. (800 - 1200 वर्ग फुट)  
MIG (800 - 1200 Sq. ft.)  
एच.आई.जी. (> 1200 वर्गफुट)  
HIG (> 1200 Sq. ft.)
11. क्या परियोजना पूर्ण हो गयी : स्वतः स्पष्ट  
Whether Project is completed : Self explanatory
12. यदि मद 11 में कूट 1 एवम् 2 है तो, कार्य के पूर्ण होने की तिथि :- स्वतः स्पष्ट  
If code 1 & 2 in the item 11 date of completion of work : Self explanatory.
13. परियोजना में किया गया कुल निवेश : परियोजना का कुल निवेश से सम्बन्धित सूचना विभिन्न मदों में एकत्रित की जानी हैं  
Total investment made in the project : The information pertaining to total investment to the project is to be collected on different her.  
नवीनतम अनुमोदित लागत : यह लागत है जो परियोजना के लिये सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित की है। यदि लागत में कोई परिवर्तन है तो अनुमोदित लागत दी जानी चाहिए।  
Latest approved cost : This is the cost at which the project is approved by the competent authority. If there is a change in the cost, the approved cost is to be given.  
चालू वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्य : इसमें संरचना में लगायी गयी सामग्री की लागत, श्रम लागत और उपयुक्त ऊपरी मद की लागत जो चालू के दौरान आयी हो, को शामिल किया जाये।  
Value of work done during the current year - It includes the cost of material incorporate if the structure, cost of labour and appropriate over head cost incurred during the current year.  
परियोजना के शुरू से किये गये कार्य का मूल्य : परियोजना की शुरुआत से अभी तक आया कुल व्यय।  
Value of work done since beginning of work : It is the total expenditure incurred since the beginning of project.
14. टिप्पणी/अभियुक्ति : स्वतः स्पष्ट।  
Remarks : Self-explanatory.